

भारत

व्यापिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIAN CURRENCY NOTE



6 APR 2008

X 137443

जो दो प्रमाणित कर्ता  
अमरेन्द्र कुमार यादव सज्जो

संस्था न पत्र

में ईश्वरी कुमार द्विवेदी सुत श्री उदयभान द्विवेदी  
निवासी ग्राम गोपीनाथपुर पोस्ट बरुआ परगना चांदा  
तहसील लखीसराय जिला सुलतानपुर का हूँ एक मानव  
होने के नाते अपने परिवार एवं समाजसेवा की भावना  
से प्रेरित होकर संस्थापक/संरक्षक की हैसियत से एक  
सांभाजिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट का गठन करने का निश्चय  
किया है मैं इस ट्रस्ट का नाम "श्री गणेश सेवा ट्रस्ट"  
रख रहा हूँ यदि इस नाम के किसी अन्य संस्थान से एक  
रूपता हो रही है तो वह गहन संयोग होगा कि किसी का  
अनुशीलन होगा

इस ट्रस्ट के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

1. ईश्वरी कुमार द्विवेदी

ईश्वरी कुमारी द्विवेदी

2. संजय कुमार व/से S/o राजेश  
ग्राम व पो. - परसडा जिला  
सुलतानपुर

3. मनीष कुमारी व/से S/o श्री रघुनाथ  
ग्राम व पो. पीरसायें जिला  
अमरेन्द्रपुर जिला

उप निबंधक लखीसराय

Page 36  
100-

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper left quadrant.

Handwritten text in the upper right quadrant.

2 MAY 2008  
Stamp and date box.

Handwritten signature or name on the left side.

Handwritten text in the center.

Handwritten text on the left side, possibly a name.


Handwritten text across the middle of the page.

Main body of handwritten text, including a circular stamp on the right.

Handwritten signature or name on the left side.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten signature or name on the left side.



संजय कुमार दुबे



Handwritten signature and name: मनोज कुमार मिश्र



Handwritten text at the bottom right corner.

भारतीय न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH

C 304671

- 1- शिक्षा के उत्तरोत्तर विस्तार हेतु प्राइमरी स्तर से लेकर इंटरमीडिएट आखिर तक होने पर स्नातकोत्तर तक के लिए शिक्षण प्रशिक्षण हेतु पुस्तकालय वाचनालय व स्कूल कॉलेज आदि की स्थापना व संचालन करना -
- 2- संस्था के कार्यक्षेत्र में महिला कल्याण हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, प्रोद्य शिक्षा केन्द्रों, नारी निकेतनों, शिल्प कला केन्द्र, आंगनवाड़ी, बाल बच्ची केन्द्रों की स्थापना व रक्षण, संचालन करना व इन कार्यों का प्रशिक्षण देना -
- 3- अनाथ बच्चों, विकलांगों, महिलाओं, जव युवकों को सभी प्रकार के प्रशिक्षण देना व स्ववलम्बी बनाना -
- 4- उन योजनाओं का संचालन करना जिनसे ग्रामीण महिलाओं, बच्चों, व युवकों का आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक उदधान करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण देना तथा उनको प्रशिक्षित व स्ववलम्बी बनाना -
- 5- उत्तर प्रदेश खादी, ग्रामीण आग बौर्ड व खादी कमिशन तथा सरकार एवं अन्य क्षेत्रों से सहायता प्राप्त करने - ग्रामोद्योगों को चलाना -

उत्तरी कृष्ण सिन्हा

उत्तरी कृष्ण सिन्हा



एन एच निपाठी (कृष्णसिन्हा)


राज्य निबंधक लखनऊ

27 37 - 80 50

12. 1950  
25. 50 - 08

पत्रिका	100
2 50	5000
पत्रिका	100
पत्रिका	100

Handwritten text in Devanagari script, appearing to be a list or record of items and their prices. The text is somewhat faded and difficult to read in detail, but it seems to follow a pattern of item name followed by a price or quantity.



भारतीय

साथिक

पचास  
रुपये  
रु. 50



FIFTY  
RUPEES

एच. के. पाण्डे, काठमांडू  
इस लेख से प्रिंट

MAR 2000  
Rs. 50  
जिला मुल्तानपुर

INDIA

JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH

3 304672

- 4- हरिजन, निर्बल वर्ग, छोड़े लाओ, ग्रामीणों आदि के लिए सरकार द्वारा - नलाओ, यही योजनाओ द्वारा उन्हें - आभावित कराने से - योग करना
- 6- सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा सरकार की नीतियों का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करना
- 7- शारीरिक रूप से विकलांग तथा मानसिक विकलांग मुबह, अपाहिज एवं संक्रामक रोगों से ग्रस्त निराश्रित लोगों, बच्चों/युवकों/प्रायों को आत्म निर्भर बनाने के लिए शिक्षा, चिकित्सा स्वयं सहाय परक शिक्षा निःशुल्क एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना
- 8- आर.सी. एवं कार्यक्रमों से चिकित्सा योजना एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को सम्पादित करना निःशुल्क चैरिटेबुल - अस्पताल, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र व बच्चा केन्द्र को व्यवस्था करके ही-करण, स्वास्थ जांच व उपचार करना, भारतीय चिकित्सा पद्धति का संरक्षण तथा प्रचार-प्रसार करना

शुशुकी गुमाट डिप्टी

शुशुकी गुमाट डिप्टी

30 रिपली (कउस1010)

रूप निर्बंधक लम्बुआ

१३० ३६

शिव सभा  
२-५-२००८

शिव सभा  
२ मार्च २००८  
स्थान: ...  
... ..


... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु. 50



FIFTY  
RUPEES

स्व. कामगार पंजीकरण  
कर्म कर से मुक्ति

23 MAR 2008

Rs. 50

दिल्ली मुद्रांकन

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH

C 304673

10. वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, इलेक्ट्रिसिटी बचत, सड़क सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, बंधुता मजदूरी उन्मूलन देहज-उन्मूलन, मद्य निषेध, गौहत्याओं को समाजता का अधिकार पंचायतीराज भारत सरकार को योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये जागरूकता कार्यक्रम तथा सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना
11. खाद्य प्रसंस्करण एवं फल संरक्षण के कार्यक्रमों को संचालित करना तथा केन्द्र सरकार की कृषि नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कार्य करना, कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र एवं कृषि उत्पादन तथा विपणन के क्षेत्र में प्रशिक्षण का आयोजन करना
12. बढ़ती बेरोजगारी को रोकने का प्रयास करना, इस कार्य में लिप्त लोगों के पुनर्वास, शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा सड़क के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य करना
13. पर्यावरण सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण, ऊसर भूमि सुधार, शौचालय जनजागरण, सार्वजनिक टॉयलेट्स, स्वच्छ-जल आपूर्ति आदि कार्यक्रमों का प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा प्रचार प्रसार का कार्य करना

इसकी कृपा दिवसी

इसकी कृपा दिवसी

एल० के० त्रिपाठी (क०स०नि०)


सचिव निबंधक संयुक्त

Handwritten notes in Hindi at the top of the page, including the date 2-5-2008.

दिनांक 02 मई 2008  
2 MAY 2008  
लोक सेवा आयोग  
पटना, बिहार

Main body of handwritten text in Hindi, which is very faint and difficult to read.

Additional handwritten text in Hindi on the left side of the page.





भारतीय

सायिक

पचास  
रुपये

रु. 50

FIFTY  
RUPEES

20 MAR 2008

Rs. 50

INDIA

JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 304674

१४- खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना तथा ग्रामिण कुटीर उद्योग को स्थापना करके स्वामीयता के अन्तर्गत स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना तथा को-ऑपरेटिव उद्योगों में स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करने हेतु उन्हें खादीग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग को तकनीकी गोपनीयता के शिक्षण, प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों के पालना तथा समस्त आय को संस्था के लक्ष्य हेतु प्रशिक्षण वैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना

१५- लोगों को अल्प कृषण में प्रति प्रेरित करना तथा स्वरोजगार के लिए कृषण उपलब्ध उपलब्ध करने में सहयोग करना तथा इसके लिए राष्ट्रीय महिला कौशल, जाबई सिडवी आदि से कृषण/अनुदान प्राप्त करना

१६- पशु उत्पादन शैक्षणिक निःशुल्क चिकित्सा, पुनर्वास की व्यवस्था करना, विज्ञान आधारित जीव-जन्तुओं के संवर्धन व संरक्षण हेतु प्रयास/अनुसंधान करना

१७- गवस्य पालन विभाग, समाज कल्याण विभाग से अनुदान एवं सहायता प्राप्त करना

ईश्वरी कृपा सिद्धी

ईश्वरी कृपा सिद्धी



उत्तर प्रदेश सरकार (उत्तर प्रदेश)  
उप निबंधक लखनऊ

भारतीय

न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50

FIFTY  
RUPEES

20 MAR 2008

Rs.50

INDIA

JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 304674

- 14- खादा ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना और ग्रामिण कुटीर उद्योग की स्थापना करने में सहायता देना और ग्रामिणों को ग्रामिणों का अवसर प्रदान करना तथा ग्रामिणों को ग्रामिणों का स्वयंसेवा समिति स्थापना करने की भावना उत्पन्न करने और उन्हें खादाग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग को लक्ष्य और नीतियों के शिक्षण, प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजना तथा समस्त आय को संस्था के कर्तव्य प्रतिकार के लिए कुटीर उद्योग में व्यय करना
- 15- लोगों को अल्प ऋण के प्रति प्रेरित करना तथा स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग करना तथा इसके लिए शहरी महिला नौष, नाबडि सिडवी आदि से ऋण/अनुदान प्राप्त करना
- 16- पशु उत्पादन सेना को निःशुल्क चिकित्सा, पुनर्वास की व्यवस्था करना, विशेष रूप से जीव-जन्तुओं के संवर्धन व संरक्षण हेतु प्रशिक्षण/संस्थान बनाना
- 17- मत्स्य पालन विभाग/समाज कल्याण विभाग से अनुदान एवं सहायता प्राप्त करना

इसकी कृपा दिवस

इसकी कृपा दिवस



एक नौ विभागीय (प्रशासिक)  
उप निबंधक सम्भुजा

Handwritten signature and date.

Handwritten signature or scribble at the top left.

Handwritten signature or scribble in the upper middle section.

Handwritten number '252008' above the stamp.

Rectangular stamp containing the date '2 MAY 2008' and other illegible text in Hindi.

First paragraph of handwritten text, appearing as a series of faint, connected characters.

Second paragraph of handwritten text, continuing the faint script.

Third paragraph of handwritten text, showing some more distinct characters.

Fourth paragraph of handwritten text, partially obscured by the stamps.



भारतीय

प्राधिकृत

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

23 MAR 2008  
Rs.50

INDIA

JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH

C 304675

- 17- विज्ञान का जीवन में उपयोग के प्रति जनसामान्यको जागरूक बनाना, तकनीक पर आधारित कम लागत में भवन/आवास कृषि मत्त/दैनिक उपयोग की वस्तुओं से सम्बन्धित- प्रशिक्षण की व्यवस्था व अनुसंधान करना तथा तकनीकी स्थानान्तरण तथा प्रसार की व्यवस्था करना -
- 18- आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति-जनजाति तथा धारुण क्षेत्रों के सामाजिक, शैक्षिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास की व्यवस्था करना -
- 20- केन्द्र/राज्य के अन्तर्गत विभागों तथा उनके सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना उनके विभागों/अनुभागों द्वारा चलाये जा रही योजनाओं को सही लागतियों तक पहुँचाने के लिए प्रयत्न करना -
- 21- विद्यालय, बालबालिका, निःशुल्क औषधालय, अनाथालय, व्यायामशाला, वृद्धशाला, नौशाला इत्यादि का निर्माण-
- 22- युवाओं का शैक्षणिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक स्वास्थ्यशैक्षिक तथा स्वरोजगार का प्रोत्साहन करना तथा बच्चों/युवाओं को शब्द की मृग्य धारा में न डालना तथा उन्हें समाज सेवक और स्वावलम्बन का पाठ पढ़ाना -

इसकी पुस्तक सिद्धी

इसकी कानूनी

कानून के विपरीत (कानून)

उप निर्देशक सम्मुख

शालिक

पचास  
रुपये

रु.50

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA

UTTAR PRADESH

C 304676

18. राष्ट्रीय मेला, प्रदर्शनी, आनार/कार्यशाला कार्यक्रम, सांस्कृतिक, शोषण प्रकाशन, विभिन्न कार्यों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था का प्रयास करना

19. परम्परागत सांस्कृतिक कार्यों को बढ़ावा देना, लोक नृत्य, लोकगीत, आल्हा, नौटंकी आदि को विलुप्त हो रही परम्पराओं को पुनः जागृत करना, श्रवण, गायन, संगीत आदि के प्रचार प्रसार प्रशिक्षण व अनुसंधान का कार्य करना

20. संस्था का मुख्य उद्देश्य को रक्षा करके (वैरिटेबुल) संस्था के रूप में सम्पूर्ण कार्यों का संस्था के उद्देश्यों की प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों पर व्यय करना तथा उद्देश्य पूर्ति हेतु प्रतिष्ठानों किन्द/राज्य सरकारों से वित्त अनुदान तथा चल-अचल सम्पत्ति व कृषण प्राप्त करना तथा समाज के अर्थोपयोग संस्था की उद्देश्य पूर्ति हेतु करना है

21. कार्य क्षेत्र में विज्ञान, शिक्षण, व्यापार, व्यापारिक विकास के कार्य करना एवं श्रमिक/मीहला/दोलेत/सादेवासी समुदाय/युवकों व वृद्धों के शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वारिष्ठिक, वैज्ञानिक एवं रचनात्मक विकास करना इस कार्य हेतु विभिन्न कार्य क्षेत्र की संस्था की शाखाएँ/केन्द्र खोलना तथा चलाना

इसकी गणना 18/07/79

इसकी गणना 18/07/79

एन 0 के 0 त्रिपु 0 (10/05/010)

रूप निबंधक संस्था


002 53  
CO

RC  
25-10-1954



Handwritten text in two columns, appearing to be a letter or report. The text is mostly illegible due to blurriness and fading.

Handwritten text at the bottom left, possibly a signature or date.



भारतीय

न्यायिक

पचास  
रुपये

रु. 50

FIFTY  
RUPEES

20 MAR 2008  
Rs. 50

INDIA

JUDICIAL

2

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 304677

- 16. व्यावसायिक एवं कृषि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए केन्द्र, क्षेत्र तथा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण को व्यवस्था करना
- 17. वाटर शेड (जल संग्रहण क्षेत्र) विकास की प्रक्रिया के माध्यम से अकृषि भूमि एवं जल संयोजन विकास कार्य का सम्पादन — शासन/भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित करना
- 18. गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के विकास एवं आत्मनिर्भर बनने हेतु विकास कार्य का क्रियान्वयन करना
- 19. संस्था का उद्देश्य सरकारी/गैर सरकारी संरचनाओं से सड़क, इंधन आवास, सरकारी आवास कार्यालय या सरकारी अटल/अनुदान के माध्यम से भूमि, श्रम, रख-रखाव तथा सुरक्षा सम्बन्धी कार्य करना
- 20. सामुदायिक स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन
- 21. महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना
- 22. शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु तकनीकी, व्यावसायिक व विधि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन की व्यवस्था करना
- 23. स्वास्थ्य, स्वच्छता और परिवार कल्याण के कार्यक्रम का संचालन
- 24. कृषि एवं पर्यावरण विकास हेतु कार्य करना
- 25. ग्रामीण विकास, स्वच्छता आवास तथा पि प्रजल सम्बन्धी कार्यक्रम का विकास और संचालन करना
- 26. शिक्षित बेरोजगारों के लिए व्यावसायिक एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना

इसकी कृपा है

एन. डी. विपरी (अध्यक्ष/निर्देशक)  
उप निबंधक, राणेश्वर

दस  
रुपये  
रु.10

TEN  
RUPEES  
- 4 APR 2005  
Rs.10

INDIA JUDICIAL

रूपश्रिजन सेवा नाभक ट्रस्ट के संस्थापक/संरक्षक की हैसियत से ५००० पांच हजार रुपया इस ट्रस्ट के फण्ड के रूप में प्रदान करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि अन्य सहयोगी प्रस्तीगण इस ट्रस्ट के प्रयत्नों की अभिपूति हेतु इस गजशील को बढ़ाने में सहयोग करते रहेंगे

उपरोक्त ट्रस्ट का मुख्यालय ग्राम गोपीनाथपुर पोस्ट बरुआ परगना चांदा तहसील लक्ष्मिजा जिला सुलतानपुर तथा कार्यालय काशीनगर बकानजम्बर २५० ई। अनिराखानर सुलतानपुर होगा

रूपश्रिजन सेवा "नाभक ट्रस्ट" में एक मुख्य प्रबंध ट्रस्टी व दो सहायक ट्रस्टी होंगे मुख्य प्रबंध ट्रस्टी संस्थान के संस्थापक होंगे कालान्तर में मुख्य प्रबंध ट्रस्टी संस्थापक के वंश का ही सुयोग्य व्यक्ति होगा अस्वस्थ भविष्यक प्रत्यु स्वेच्छा से त्यागपत्र देने एवं ट्रस्ट के हितके विसु कार्य करने पर बहुमत के आधार पर व संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से ट्रस्टी का परिवर्तन किया जा सकता है महत्वपूर्ण निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे स्थापित ट्रस्ट

कुंजी कृष्ण डिवेदी

कुंजी कृष्ण डिवेदी



दस  
रुपये  
रु.10

TEN  
RUPEES

4 APR 2008

Rs.10

INDIAN NON JUDICIAL

संस्थापक/संरक्षक की हैसियत से ५००० पांच हजार रुपया इस ट्रस्ट के फण्ड के रूप में प्रदान करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि अन्य सहयोगी प्रस्तीगण इस ट्रस्ट के प्रयोजनों की अभिपूरति हेतु इस धनराशि को बढ़ाने में सहयोग करते रहेंगे

उपरोक्त ट्रस्ट का मुख्यालय ग्राम गोपीनाथपुर पोस्ट बरुआ परगना चांदा तहसील लम्बुआ जिला सुलतानपुर तथा कार्यकारी कार्यालय अकानजम्बर २४० ई।प।निरालानगर सुलतानपुर होगा

स्पर्शजनसेवा नामक ट्रस्ट में एक मुख्य प्रबंध ट्रस्टी व दो सहायक ट्रस्टी होंगे मुख्य प्रबंध ट्रस्टी संस्थान के संस्थापक होंगे कालान्तर में मुख्य प्रबंध ट्रस्टी संस्थापक के वंश का ही सुयोग्य व्यक्ति होगा अस्वस्थ अवस्था में मृत्यु स्वच्छा से आगपत्र देने एवं ट्रस्ट के हितके विरुद्ध कार्य करने पर बहुमत के आधार पर व संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से ट्रस्टी का परिवर्तन किया जा सकता है अहमपूर्ण निर्णय बहुमत के आधार पर होगा स्थापित ट्रस्ट

डॉ. कृष्ण कृष्ण डिवी

डॉ. कृष्ण कृष्ण डिवी

संस्थापक/संरक्षक (कानूनियर)  
उप निबंधक लम्बुआ

आर्य समाज आचार्यक

दस  
रुप

TEN  
RUPEES

रु. 10

- 4 199 1117

Rs. 10

INDIA NO. JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4146 292234

अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन संग्रह देश-विदेशकी  
 आम जनता एवं संस्थाओं से धन के रूप में एवं अनुसू  
 के रूप में करेगा किसी भी प्रकारकी भूमि व भवन व अन्य  
 प्रकार का दान/पट्टा/संस्था के हित में हो सकता है—  
 ट्रस्ट सदैव सम्पत्ति का पारदर्शी हिसाब रखेगा तथा  
 प्रतिवर्ष अधिकार प्राप्त लोगों से उसकी जांच करायेगा  
 उक्त ट्रस्ट की धनराशि रावड़ी, बहुत बैंक या डाकघर  
 इत्यादि में जमा की जा सकती है तथा उक्त धनराशि  
 आवश्यकतानुसार संस्थापक ट्रस्टी व किसी अन्य—  
 सहायक ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से निकाली जायेगी  
 ट्रस्ट की सम्पत्ति को व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाया  
 जा सकेगा सहायक ट्रस्टी की संख्या दो होगी—

- 1- श्रीमती आमा देवी पत्नी श्री उदयमान द्विवेदी निवासिनी -  
 मकान नं० 280 ई/१ निराला नगर सुलतानपुर
- 2- अन्जनी कुमार द्विवेदी पुत्र श्री उदयमान द्विवेदी निवासिनी  
 मकान नं० 280 ई/१ निराला नगर सुलतानपुर

शुद्धी गुणवत् दिवसी

शुद्धी गुणवत् दिवसी

रजि० नं० त्रिपाठी (कास०नि०)

आचार्यक

उप निबंधक लखनऊ

भारतीय

न्यायिक

दस  
रुपये

रु. 10

TEN  
RUPEES

4 APR 2008

Rs. 10

INDIAN

JUDICIAL

प्रकाशक: श्री. उदय शर्मा

404/25/235

इस ट्रस्ट की बैठक प्रतिवर्ष कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से होगी तथा आवश्यकतानुसार प्रबंधक द्वारा सभी सदस्यक इडिटमों को दस दिन पूर्व सूचना देकर कभी भी बैठक आहूत की जा सकती है - यह ट्रस्ट अपने को विभिन्न सम्बन्धित विभागों में आवश्यकतानुसार पंजीकृत करायेगा -

इस ट्रस्ट को मुख्यालय/कार्यालय तथा सम्बन्धित अन्य भवन हेतु भूमि/भवन क्रय करने व किराये पर लेने का अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के उत्थान हेतु अन्य वैज्ञानिक संसाधन खरीदने का अधिकार होगा यह ट्रस्ट अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साहित्य प्रकाश व वितरण करने का पूर्ण अधिकारी होगा ट्रस्ट अपने यहां कर्मचारी नियुक्त करे तथा उन्हें पारिश्रमिक देने व अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सम्पूर्ण विश्व में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा किसी भी नये ट्रस्ट की नियुक्त

श्री. उदय शर्मा/सिद्धी



श्री. उदय शर्मा/सिद्धी

एल.के. त्रिपाठी (कलकत्ता)

संयोजक/संयोजक

भारतीय न्यायिक

दस  
रुपये  
रु. 10

TEN  
RUPEES

4 APR 2008

Rs. 10

INDIA FINANCIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

41AA 292236

संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से किसी सुयोग्य व्यक्ति को उसकी ट्रस्ट के प्राप्ति हेतु भावना को देखकर की जा सकती है रूपशक्ति सेवा ट्रस्ट ग्राम गोपीनाथपुर पोस्ट बरुआ परगना बांदा तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर उत्तर प्रदेश की ओर से भै ईश्वरीकुमार द्विवेदी सुत जी उदय शर्मा द्विवेदी निवासी ग्राम गोपीनाथपुर पोस्ट बरुआ संस्थापक/ संस्थापक ट्रस्टी श्री हेमिष से अपनी पूर्ण स्वल्प मानबुद्धि की दशा में प्रसन्ना पूर्वक यह न्यायपत्र लिख दिया कि प्रमाण रैट तथा समझ पर काम आवे।

तारीख तहरीर - 08/04/2008 ई०

लेखक - देवेन्द्र कुमार सिंह एडवोकेट रजि० संख्या

U.P. 99366/2000 तहसील लम्भुआ सुलतानपुर











ईश्वरी कुमार द्विवेदी

ईश्वरी कुमार द्विवेदी











एडवोकेट त्रिपाठी (कानूनी)

सम-निबंधक (कानूनी)

## विक्रेता एवं क्रेता के अंगुलियों के निशान

	नाम .....				विक्रेता प्रथम पक्ष
दायाँ हाथ	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका
					
बायाँ हाथ	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका
					

संजीव कुमार इब्रे

	नाम .....				क्रेता द्वितीय पक्ष
दायाँ हाथ	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका
					
बायाँ हाथ	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका
					

संजीव कुमार इब्रे

संजय कुमार इब्रे

मनीष कुमार मिश्रा